4

# कार्यालय :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या :— 32

राँची—2 दिनांक :— 19/5/15

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0—4/यो0 बजट—42/2010—2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.05.15 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं गैर—विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी।यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

## भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0) :— 187.43

| क्र0 | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल व्यय (रू0 में) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| क | अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) | | | | | | |
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | हे0 | 3.00 | 562.29 | 0.00 | 562.29 | |
| 2 | झाड़ी सफाई | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1 | झाड़ी रहित | हे0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2 | सामान्य झाड़ी | हे0 | 7.00 | 1312.01 | 0.00 | 1312.01 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **घेरान कार्य –** | | | | | | |
| 3.1 | **ट्रेंच घेरान** – ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी) | चेन | 25 | 4685.75 | 0.00 | 4685.75 | यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जाती है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों। |
| 3.2 | मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवदक लाभ घटाकर दर ) | | 2 | 374.86 | 1963.79 | 2338.65 | स्थल विशेष पर मशीन द्वारा ट्रेंच की खुदायी वन संरक्षक से अनुमति प्राप्त कर की जा सकेगी। सामग्री की राशि मशीन कार्य हेतु है |
| 3.3 | **पत्थर घेरान** –ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी., नीचे की चौड़ाई 1.25 मी., ऊँचाई 1.00 मी. | | 25 | 4685.75 | 0.00 | 4685.75 | |
| 3.4 | **झाड़ी घेरान**– | चेन | 6.00 | 1124.58 | 25.00 | 1149.58 | |
| 4 | मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित) | हे0 | 36.50 | 6841.20 | 0.00 | 6841.20 | |
| 5 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ) | हे0 | 16.50 | 3092.60 | 0.00 | 3092.60 | |
| 6 | सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 2240.00 | 2240.00 | |
| 7 | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंटूर ट्रेंचिंग– 120, कंटूर ट्रेंच साईज 5 मी0 X 0.30 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी0 से 3मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोड़नी कर रखा जाना | हे0 | 55.00 | 10308.65 | 0.00 | 10308.65 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 9 | गली प्लगिंग | हे0 | 10.00 | 1874.30 | 0.00 | 1874.30 | |
| 10 | विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | |
| ख. | समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) | | | | | | |
| 1 | अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित | हे0 | 21.50 | 4029.75 | 0.00 | 4029.75 | |
| 2 | वृक्षारोपण | हे0 | 36.50 | 6841.20 | 0.00 | 6841.20 | |
| 3 | दो कोड़नी एवं निकौनी | हे0 | 41.50 | 7778.35 | 0.00 | 7778.35 | |
| 4 | ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन | हे0 | 2.00 | 374.86 | 0.00 | 374.86 | |
| 5 | पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक) | स्थल | 275.00 | 51543.25 | 0.00 | 51543.25 | |
| | पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक) | स्थल | 550.00 | 103086.50 | 0.00 | 103086.50 | |
| 6 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 2365.00 | 2365.00 | |
| 7 | विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | |
| ग. | सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) | | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी एवं निकौनी | हे0 | 23.00 | 4310.89 | 0.00 | 4310.89 | |
| 2 | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 1892.40 | 1892.40 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक) | स्थल | 365.00 | 68411.95 | 0.00 | 68411.95 | |
| | पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक) | स्थल | 730.00 | 136823.90 | 0.00 | 136823.90 | |
| 4 | गड्ढा घेरान की मरम्मत | चेन | 1.00 | 187.43 | 0.00 | 187.43 | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे0 | 3.00 | 562.29 | 290.00 | 852.29 | |
| घ. | सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) | | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी एवं निकौनी | हे0 | 23.00 | 4310.89 | 0.00 | 4310.89 | |
| 2 | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक) | स्थल | 365.00 | 68411.95 | 0.00 | 68411.95 | |
| | पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक) | स्थल | 730.00 | 136823.90 | 0.00 | 136823.90 | |
| 4 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे0 | 3.00 | 562.29 | 290.00 | 852.29 | |
| ङ. | सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) | | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी–निकौनी | हे0 | 23.00 | 4310.89 | 0.00 | 4310.89 | |
| 2 | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक) | स्थल | 365.00 | 68411.95 | 0.00 | 68411.95 | |
| 4 | घेरान की मरम्मत | चेन | 1.00 | 187.43 | 0.00 | 187.43 | |
| च | सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) | | | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक) | स्थल | 365.00 | 68411.95 | 0.00 | 68411.95 | |

नोट:–

(1) सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यो पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ठ प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाऐंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरुपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा

(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से सबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक :-469 दिनांक :- 19/5/15

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/2015

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची